न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 157 / 2024 दायर दिनाँक 28.06.2024

वादी

गोविन्द प्रसाद पुत्र परसाराम उर्फ धगडुराम जाति ब्राह्मण निवासी धुड़िला तहसील लाडनू जिला डीडवाना कुचामन राज.।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. इन्द्रचन्द पुत्र परसाराम उर्फ धगडुराम,
2. धन्नालाल पुत्र परसाराम उर्फ धगडुराम,
3. पन्नालाल पुत्र परसाराम उर्फ धगडुराम

   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण धुडिला तहसील लाडनू जिला डीडवाना कुचामन राज.
4. राजस्थान राज्य, जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार छोटी खाटू।

दावा बाबत्

बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी व रिकॉर्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा– 53,88 R.T.Act. , 136 L.R. Act.

उपस्थित:–

1. श्री मो. शरीफ शेरानी वकील वादी।
2. श्री मो. रफीक वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 26.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि मौजा मामडोदा, पटवार हल्का मामड़ोदा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र केराप तहसील छोटी खाटू के खेत खसरा संख्या 390 रकबा 3.2100 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्तावित करने बाबत् दिनाँक **04.08.2025** को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार छोटीखाटू को निर्देश दिया गया।

तहसीलदार छोटीखाटू ने अपने पत्रांक: भू.अ. / 2025 / 1796 दिनाँक 17.11.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार छोटीखाटू द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार छोटीखाटू सक्षम प्राधिकारी है। अत: तहसीलदार छोटीखाटू के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू.अ. / 2025 / 1796 दिनाँक 17.11.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

मौजा मामडोदा, पटवार हल्का मामड़ोदा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र केराप तहसील छोटी खाटू के खेत खसरा संख्या 390 रकबा 3.2100 हैक्टेयर बारानी 1 भूमि में

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

ादी व प्रतिवादीगण के मध्य घोषणा खातेदारी व बंटवारा कर, इनकी वर्तमान खातेदारी के ान पर, तहसीलदार छोटीखाटू से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ. /2025/1796 दिनॉंक 17.11.2025 में वर्णितानुसार भूमि का पक्षकारान को [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार छोटीखाटू का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2025/1796 दिनॉंक 17.11.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉंक 26.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना